

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 अप्रैल 2013—चैत्र 14, शक 1935

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्र. 391-रा.स.-यू.ए.-5-2013.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1210-रास-यू.ए.-5-2011, दिनांक 21 सितम्बर, 2011 के अनुक्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपतिजी ने धारा 27(2)(तीन) के तहत डॉ. महादेवप्पा, पूर्व कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है.

2. यह आदेश वर्तमान में नामांकित सदस्य मेयी चारू दत्त दिगम्बरराव का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत दिनांक 26 अप्रैल, 2013 से प्रभावशील होगा.

विनोद कुमार चतुर्वेदी, राज्यपाल के उपसचिव.